न्यायालय :– सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

पीठासीन अधिकारी :– बलजीत सिंह, RJS (DJ CADRE)

जमानत आवेदन पत्र संख्या :– 745 / 2024

कन्हैयालाल कुमावत पुत्र श्री रतन लाल कुमावत, आयु–32 वर्ष, निवासी गांव नींदड, पुलिस थाना हरमाडा, जयपुर। हाल संचालक ट्रैकान कोरियर्स एजेंसी, रोड नंबर–5, मुरलीपुरा, जयपुर।

––प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए लोक अभियोजक

––अप्रार्थी

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंड प्रकिया संहिता प्र सू रि संख्या 159 / 2024 पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर, अपराध अन्तर्गत धारा 19 / 54 राज0 आबकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत, अधिवक्ता–प्रार्थी / अभियुक्त।
2. सुश्री साजिया खान, लिंक लोक अभियोजक–राज्य सरकार।

:: आदेश :: दिनांक : 22.03.2024

1 प्रार्थी / अभियुक्त कन्हैया लाल कुमावत की ओर से जरिए अधिवक्ता जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस जमानत आवेदन सुनी गई। केसडायरी का अवलोकन किया गया।

2 केसडायरी के अनुसार दिनांक 18.03.2024 को सहायक उप निरीक्षक श्रीमती कश्मीरो ने अपनी वापसी पर पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उस दिन दौराने गश्त आसूचना अधिकारी करण सिंह व अन्य की सूचना के आधार पर ट्रैकोन कोरियर्स पर पहुंचे तो वहां पर एक व्यक्ति खडा मिला, जिसको पूछने पर उसने स्वयं को ट्रैकोन कोरियर्स का संचालक होना बताया, जिसने पास में रखे प्लास्टिक के छोटे ड्रमों में किसान खाद बीज हाजीपुर भेजने का सामान होना बताया, जिन ड्रमों को चैक करने पर ड्रमों के अंदर कुल 1345 टेट्रा पैकेटों में भारी मात्रा में अवैद्य शराब भरी हुई मिली, जिसको आधिपत्य

में रखकर विक्रय करने का उसके पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं मिला आदि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 159/2024 दर्ज की जाकर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने पर उसकी ओर से यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3 बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस प्रकरण में प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क रहा है कि प्रार्थी को इस मामले में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उसका अवैद्य शराब से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। उनकी मुख्य रूप से यह बहस रही है कि आरोपी/प्रार्थी कोरियर कम्पनी का संचालक है तथा बरामदशुदा टेट्रा पैकेट में क्या भरा हुआ था, इस बात की कोई जानकारी आरोपी/प्रार्थी को नहीं थी। उनकी यह भी बहस रही है कि आरोपी/प्रार्थी का पूर्ववर्ती आपराधिक रिकार्ड नहीं है। वह इस प्रकरण में दिनांक 18.03.2024 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। आरोपी/प्रार्थी से कोई बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के शेष अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी को जमानत की सुविधा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया।

4 इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी/प्रार्थी के आधिपत्य के भारी मात्रा में अवैद्य शराब की बरामदगी की गई है तथा आरोपी/प्रार्थी द्वारा अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर मिथिला एग्रो दरबंगा बिहार एवं किसान खाद बीज भंडार हाजीपुर बिहार के नाम की वर्मी कम्पोस्ट के नाम का बिल व बिल्टी बनाकर उसमें वर्मी कम्पोस्ट के स्थान पर अवैद्य शराब को भरकर प्रतिबंधित राज्य में भिजवाया जा रहा था। उक्त शराब का प्राप्तकर्ता कौन था एवं इस मामले में अन्य कौन कौन आरोपी संलिप्त है, इस संबंध में अनुसंधान शेष है। उनकी यह भी बहस रही है कि आरोपी/प्रार्थी को यदि जमानत का लाभ दिया गया तो इससे प्रकरण का अनुसंधान विपरीत रूप से प्रभावित होगा। अतः आरोपी/प्रार्थी के आधिपत्य से बरामद शराब की अत्यधिक मात्रा को देखते हुए आरोपी/प्रार्थी का जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5 हमने उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया तथा केसडायरी का परिशीलन किया।

6 केसडायरी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आरोपी/प्रार्थी के विरूद्ध 1345 टैट्रा पैकेटों में कुल 241 लीटर अवैद्य शराब बिना वैद्य अनुज्ञापत्र के विक्रय करने के आशय से शराब प्रतिबंधित राज्य बिहार भिजवाने हेतु अपने आधिपत्य में रखने का आरोप है। आरोपी/प्रार्थी कोरियर कम्पनी का संचालक होना बताया गया है। वस्तुतः उसे उक्त टेट्रा पैकेटों में भरे माल के संबंध में जानकारी थी अथवा नहीं, यह तथ्य अनुसंधान व विचारण का विषय है, जिस पर इस प्रक्रम पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है। अब तक के अनुसंधान से यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी/प्रार्थी के विरूद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं बताया गया है। आरोपी/प्रार्थी इस प्रकरण में दिनांक 18.03.2024 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। उससे कोई बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं होना बताया गया है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना आरोपी/प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, अतः आरोपी/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

. अतः आरोपी/प्रार्थी कन्हैयालाल कुमावत द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त 2,00,000/–अक्षरे दो लाख रूपये का स्वयं का बन्ध पत्र व 1,00,000–1,00,000/–अक्षरे एक–एक लाख रूपये की दो जमानतें विचारण न्यायालय के समक्ष सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करावे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(बलजीत सिंह)
सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–द्वितीय

आदेश आज दिनांक 22.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बलजीत सिंह)
सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–द्वितीय

एके